



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10092025-266065
CG-MH-E-10092025-266065

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947

No. 575]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 10 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 619(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के जिला कच्छ में मुंद्रा पोर्ट और भुज परियोजना (10.69 किमी) की ओर सीधे प्रवेश के लिए गांधीधाम आदिपुर में नई ब्रोड गेज बाईपास लाइन वाई कनेक्शन को भूमि अधिग्रहण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, अंजार, जिला कच्छ को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कच्छ जिले में मुंद्रा पोर्ट और भुज परियोजना (10.69 किमी) की ओर सीधे प्रवेश के लिए गांधीधाम आदिपुर में नई ब्रोड गेज बाईपास लाइन वाई कनेक्शन को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

तालुका का नाम अंजार - जिले का नाम: कच्छ

Sr. No.	गाँव का नाम	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (in Sqm)	भूमि मालिक / इच्छित व्यक्ति का नाम
1	मेघपर (कुंभारडी)	43 पाएकी	गैर-कृषि	0.7018	गुजरात अदानी पोर्ट लिमिटेड, प्रवणभाई, विनोदभाई अदानी, महासुखभाई शांतिलाल अदानी
2	मेघपर (कुंभारडी)	51/1	गैर-कृषि	0.2032	लालजी नानजी वेकारिया, मुकेश नाराण हिरानी
3	मेघपर (कुंभारडी)	51/2	गैर-कृषि	0.0859	गुजरात अदानी पोर्ट लिमिटेड
4	मेघपर (कुंभारडी)	163 पाएकी	बर्बाद	0.0238	सरकार
			कुल:	1.0147	

[फा. सं. E. -470738-02]

एस. आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक - II

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th September, 2025

G.S.R. 619(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, New Brode Gauge Bypass Line Y Connection at Gandhidham Adipur for direct entry towards Mundra Port and Bhuj Project (10.69 Km) in District Kutch in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Anjar, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: New Brode Gauge Bypass Line Y Connection at Gandhidham Adipur for direct entry towards Mundra Port and Bhuj Project (10.69 Km) in District Kutch in the state of Gujarat.

Name of Taluka -Anjar Name of District: Kutch

Sr. No.	Village Name	Survey No.	Land Type	Area of Land to be acquired (In Sqm.)	Name of the land owner /interested persons
1	Meghapar (Kumbhardi)	43 Paki	Agriculture	0.7018	Gujarat Adani Port limited, Pravanbhai, Vinod Bhai Adani, Mahasukhbhai Shantilal Adani
2	Meghapar (Kumbhardi)	51/1	Agriculture	0.2032	Lalji Nanji Vekariya, Mukesh Naran Hirani
3	Meghapar (Kumbhardi)	51/2	Non- Agriculture	0.0859	Gujarat Adani Port limited
4	Meghapar (Kumbhardi)	163 Paki	Wastages	0.0238	Government
		Total Land		1.0147	

[F. No. E. -470738-02]

S. R. PRASAD, Chief Project Manager (C) II